तापमान

भोपाल	9.0°	28.0°
इंदौर	11.0°	29.0°
जबलपुर	9.0°	28.0°
ग्वालियर	11.0°	29.0°
सागर	13.0°	28.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 358, पृष्ठ 12)
अगहन, कृष्ण तृतीया संवत् 2083
शुक्रवार, 27 नवम्बर 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com | भोपाल संस्करण | भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित



राजधानी... भारत लोकतंत्र की ताकत से दुनिया में बना ...



व्यापार... एन चंद्रशेखरन की तीसरी बार नियुक्ति के खिलाफ...



खेल... क्राइस्टचर्च टेस्ट से पहले भारतीय गेंदबाजी ...



देश-विदेश... यरुशलम की कोर्ट के रुख से नेतान्याहू के ...

खास-खबरें

तमिलनाडु में मिलेगी 15 दिन की पितृत्व छुट्टी

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नईः तमिलनाडु सरकार ने पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन की पितृत्व छुट्टी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को इस फैसले का ऐलान किया। राज्य में पहली बार पुरुष सरकारी कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत पुरुष सरकारी कर्मचारी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले अथवा बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी ले सकेंगे।

तेल टैंकर में आग, 31 लोगों की मौत

काहिरा, एजेंसीः मिस्र की राजधानी काहिरा के पास बुधवार रात राजमार्ग पर तेल टैंकर में आग लगने से 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से अधिक घायल हुए हैं। हादसे में 24 से ज्यादा कारें और दोपहिया वाहन जल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद धमाके और आग से आसपास के वाहन प्रभावित हुए। जलते वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

सपा का बेरोजगारी भत्ता पाँच हजार देने का वादा

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊः समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने वृद्ध महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये और करीब डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के समान वेतन देने की घोषणा की। गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा, बंद विद्यालयों को दोबारा खोलने और पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में काम करने का भरोसा दिया गया है। अखिलेश यादव ने आशा, आंगनबाड़ी और ठेका कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने तथा उन्हें नियमित करने की दिशा में काम करने की बात कही। पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया।

मुस्लिम आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के कोटे में कटौती चाहती है विपक्षी पार्टीः मोदी

संविधान दिवस पर मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले- महिलाओं को आरक्षण देने के संकल्प को कोई ताकत नहीं रोक सकती



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की प्रमुख पार्टी पिछड़े वर्गों के आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता, विशेषकर डॉ. भीमराव आंबेडकर, इस विचार के विरोधी थे।

प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लाए गए विधेयक को पारित नहीं होने देना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश की महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाने का संकल्प नहीं रुकेगा। मोदी ने नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि दशकों तक नक्सलियों ने विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों को संविधान से मिले अधिकारों से वंचित रखा। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हुई प्रगति को उन्होंने संतोषजनक बताया।

प्रधानमंत्री ने 1951 के पहले संविधान संशोधन और आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संशोधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका की शक्तियां प्रभावित हुईं। साथ ही, अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल से चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का भी उल्लेख किया। मोदी ने बताया कि संविधान का नया संस्करण आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता को न्याय केंद्रित व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव बताया। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। संसद में संबंधित विधेयकों के पारित नहीं होने पर उन्होंने विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाए।

देशवासियों को शुभकामनाएँः

प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान को भारतीय लोकतंत्र की अमूल्य विरासत बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत के संकल्प की दिशा में देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने संविधान के मूल्यों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई और संस्कृत सुभाषित भी साझा किया।

संविधान निर्माण में मप्र की अहम् भूमिका रही : डॉ. यादव



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संविधान निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान दिवस उत्सव हमारी गौरवशाली विरासत और परंपरा का परिचायक है। समानता और बंधुत्व संविधान की आत्मा हैं। प्रदेश के प्रतिनिधियों ने देश का नाम भारत रखने, न्यायपालिका को मजबूत बनाने और अधिकारों से जुड़े विषयों पर संविधान निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण विचार रखे थे। मुख्यमंत्री गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित संविधान दिवस उत्सव को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि मध्यभारत के प्रतिनिधि सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत ने देश का नाम इंडिया के स्थान पर भारत रखने की वकालत की थी। डॉ. हरिसिंह गौर ने देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का विचार रखा था। आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री और विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन हुआ। विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका 'विधायिनी' के विशेषांक का विमोचन और यूट्यूब चैनल का शुभारंभ किया गया।

बिना स्वीकृत पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

केवल शैक्षणिक योग्यता पूरी करने से नियमित नौकरी का दावा मान्य नहीं, पद का अस्तित्व और मंजूरी जरूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई कर्मचारी केवल निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के आधार पर बिना स्वीकृत पद पर स्थायी नियुक्ति या समायोजन का अधिकार नहीं मांग सकता। न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति या स्थायी समायोजन के लिए संबंधित पद का अस्तित्व और उसकी स्वीकृति होना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने व्याख्याता बृज कुमार मिश्रा की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अपीलकर्ता ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की तारीख से स्थायी समायोजन की मांग की थी। मिश्रा की नियुक्ति 22 फरवरी 1986 को गढ़वा के एसजेएसएन महाविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में हुई थी।

संसद के दोनों सदनों की एक-एक दिन की बैठक बुलाएगी सरकार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की एक-एक दिन की बैठक बुलाने का फैसला किया है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बैठकों में जरूरी सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। इस बीच महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम् बैठक आज

दोपहर एक बजे सेवा तीर्थ में जुटेंगे मंत्री, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की संभावना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक दोपहर एक बजे सेवा तीर्थ में होगी। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब संसद के दोनों सदनों की आगामी बैठकों को लेकर सरकार



की तैयारियां जारी हैं। संसद की कार्यवाही और जरूरी सरकारी कामकाज को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि, बैठक के एजेंडे को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

सेवा तीर्थ में आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में सरकार के आगामी निर्णयों और प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में विभिन्न राज्यों में आगामी विस चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को निर्देश

ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले खाद्य पदार्थों पर लगेंगे लाल चेतावनी निशान



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में अधिक चीनी, नमक और वसा की मात्रा होने पर उपभोक्ताओं को स्पष्ट चेतावनी देने के लिए विशेष निशान लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को छह कोनों वाले लाल निशान के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था करने को कहा है।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के निर्देशानुसार, अधिक चीनी, नमक या वसा वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट पर संबंधित पदार्थ का उल्लेख करते हुए चेतावनी चिह्न लगाया जाएगा। इसमें अधिक चीनी, अधिक नमक या अधिक वसा की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि चीनी की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुल चीनी और वसा के आकलन के लिए संतृप्त वसा को आधार बनाया जाए। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इन पदार्थों की निर्धारित सीमा दोबारा तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह मामला '3एस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी' नामक जनहितकारी संस्था की याचिका से जुड़ा है।

तूफान से 6 हजार विमान सेवाएँ प्रभावित

अमेरिका में 150 उड़ानें रद्द

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के बीच खराब मौसम ने हवाई यातायात प्रभावित कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तूफान के कारण बुधवार को छह हजार से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं, जबकि करीब 150 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। पूर्वी तट पर नॉरईस्टर तूफान के आगे बढ़ने से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं तथा भारी बारिश की आशंका है। खराब मौसम के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कैलिफोर्निया सहित कई राज्यों में संभावित स्थिति से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं।

तिरुपति मंदिर में 121 किलो सोना दान



नईदुनिया ब्यूरो, तिरुमलाः तिरुमला स्थित तिरुपति मंदिर में चेन्नई के एक दंपती ने गुरुवार को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 208 करोड़ रुपये बताई गई है। वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में यह दान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को सौंपा। दान में नौ सेट में रखे 45 आभूषण और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं। दंपती ने भगवान वेंकटेश्वर के लिए मुकुट और पैरों के आभूषण भी भेंट किए। तिरुमला में किसी एक भक्त की ओर से दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। दंपती ने कंपनी की हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त धन से यह दान किया।

खास खबर *बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास..*

ट्रंप के नए टैरिफ प्रस्ताव का कई देशों में विरोध

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से 14 अर्थव्यवस्थाओं पर नए आयात शुल्क लगाने की योजना का चीन, जापान और अन्य व्यापारिक साझेदारों ने विरोध किया है। इन देशों ने अमेरिकी आरोपों को भी खारिज किया है, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र में जरूरत से अधिक उत्पादन क्षमता होने की बात कही गई है। अमेरिका ने बुधवार को नए शुल्क प्रस्तावों की घोषणा की। ये शुल्क अगले वर्ष की शुरुआत में लागू होने की संभावना है। फरवरी में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष लगाए गए व्यापक शुल्कों में से अधिकांश को रद्द किए जाने के बाद प्रशासन नए उपायों के जरिए शुल्क व्यवस्था को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कई महीनों तक चली जांच के बाद 14 अर्थव्यवस्थाओं की विनिर्माण संबंधी नीतियों को अमेरिकी व्यापार के लिए बाधा बताया है। चीन पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। चीन ने अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के आरोप को गलत आधार बताते हुए कहा कि शुल्क युद्ध और व्यापार युद्ध किसी के हित में नहीं हैं। चीन ने अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात भी कही है।



जापान पर 15 प्रतिशत तक शुल्क लगाने के प्रस्ताव का भी विरोध हुआ है। जापान सरकार ने अमेरिकी फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। सिंगापुर और मलेशिया ने भी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के आरोपों को खारिज किया है। यूरोपीय संघ ने भी अमेरिकी दावों पर असहमति जताई है। वहीं, थाईलैंड ने प्रस्तावित शुल्क दर को अपेक्षा से बेहतर बताया और अपने निर्यात उत्पादों के लिए अतिरिक्त छूट हासिल करने की दिशा में बातचीत जारी रखने की बात कही है।

भारत ने अमेरिका के आरोप खारिज किए

भारत ने अमेरिका के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यापार से जुड़ी चिंताओं का समाधान भारत और अमेरिका के बीच जारी द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। सरकार ने अमेरिकी शुल्क बढ़ाने से जुड़े प्रावधानों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। अमेरिका ने 11 मार्च 2026 को व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत जांच शुरू की थी।

